



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 मई, 2026 / 31 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th May, 2026

No. TPT-C(17)-2/2025-L.—In compliance to the order dated 11-03-2026 passed by the Hon'ble High Court in CWP No. 13984 of 2025, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of

the power conferred upon him under section-68 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf, is pleased to re-constitute the State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla which shall exercise powers and perform functions enumerated in sub-section-2 of above Section, of the act *ibid*:—

Official Members:—

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Secretary (Co-operation) to the Government of Himachal Pradesh. | .. <i>Chairman</i> |
| 2. Additional Commissioner, Lead Agency/ Road Safety Cell, H.P. | .. <i>Member</i> |
| 3. Secretary, State Transport Authority Shimla, H.P. | .. <i>Member-Secretary</i> |

Sd/-
(R.D. NAZEEM),
Addl. Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th May, 2026

No. TPT-C(17)-2/2025-L.—In compliance to the order dated 11-03-2026 passed by the Hon'ble High Court in CWP No. 13984 of 2025, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred upon him under Section-68 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf, is pleased to re-constitute the Regional Transport Authorities, Mandi, Dharamsala, Shimla, Kullu, Chamba, Una, Bilaspur, Solan, Sirmaur, Hamirpur, Rampur and Baddi at Nalagarh Districts which shall exercise powers and perform functions enumerated in sub-section-2 of above Section, of the act *ibid*, as under:—

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY (RTA) OFFICIAL MEMBERS:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Divisional Commissioner of the concerned District | .. <i>Chairman</i> |
| 2. Regional Transport Officer of the concerned District | .. <i>Secretary</i> |

Sd/-
(R.D. NAZEEM)
Addl. Chief Secretary (Transport).

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मई, 2026

संख्या: इण्ड-बी-(एफ)6-20 / 2026.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-बी-(एफ) 6-14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) दसवां संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 79 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 79 के उप-नियम (4) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित ऐसी सरकारी अनुमोदित सन्निर्माण संकर्म के मामलों में, जहां अनुमानित परियोजना खर्च 60,00,000/—(साठ लाख) रुपए तक हो, तथा अन्य सरकारी विभागों से संबंधित ऐसी सरकारी अनुमोदित सन्निर्माण संकर्म के मामलों में, जहां अनुमानित परियोजना खर्च 25,00,000/—(पच्चीस लाख) रुपए तक हो, वहां सम्बद्ध विभाग जनित खनिज के परिमाणीकरण के पश्चात् द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रॉयल्टी तथा तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभारों के साथ अन्य लागू करों/प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् जनित गौण खनिजों के उपयोग की अनुज्ञा देगा।”।

आदेश द्वारा,
आर. डी. नजीम, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-20/2026, dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 20th May, 2026

No. Ind-II(F)6-20/2026.—In exercise of the powers conferred by Section 15 read with Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified *vide* this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra (e-Gazettee) Himachal Pradesh on 21-03-2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Tenth Amendment) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 79.—In rule 79 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 in sub-rule (4) for the second proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided further that in case of Government approved construction works pertaining to Department(s) of Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD), Jal Shakti Vibhag (JSV), Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) where estimated project costs is upto Rs. 60,00,000/- (Rs. Sixty Lakhs) and in case of Government approved construction works pertaining to other Government Departments where estimated project costs is upto Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty-five Lakhs), the concerned Department after quantifying the mineral shall permit the use of minor mineral after deducting the royalty as specified in SECOND SCHEDULE and processing charges as specified in THIRD SCHEDULE alongwith other applicable taxes/charges in advance.”

By order,

R.D. Nazeem, IAS,

Addl. Chief Secretary (Industries).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	अगामी तारीख पेशी/सुनवाई
12/2026	इन्द्राज जन्म तिथि	29-04-2026	25-05-2026

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री वंशी व (छटांकी देवी), निवासी महाल चमारकड, डा0 चमियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 श्रीमती निर्मला देवी पुत्री वंशी व (छटांकी देवी), निवासी महाल चमारकड, डा0 चमियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इशतहार/सूचना/मुश्री मुनादी आदि।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री वंशी व (छटांकी देवी), निवासी महाल चमारकड, डा0 चमियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती निर्मला देवी पुत्री वुशी व (छटांकी देवी), निवासी महाल चमारकड, डा0 चमियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 20-08-1954 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बंधित ग्राम पंचायत ठाना धमडियाणा के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाना धमडियाणा के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती निर्मला देवी पुत्री वंशी व (छटांकी देवी), निवासी महाल चमारकड, तहसील चमियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 20-08-1954 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाना धमडियाणा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 25-05-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 20-08-1954 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाना धमडियाणा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 29-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर
70596/2026 / ONLINE

दायर तिथि
08-01-2026

अगामी तारीख पेशी :
25-05-2026

श्री राजेंदर कुमार पुत्र पृथ्वी चंद, निवासी महाल वार्ड नम्बर 7, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू अधिनियम, 1954.

दिनांक 08-01-2026 को प्रार्थी श्री राजेंदर कुमार पुत्र पृथ्वी चंद, निवासी महाल वार्ड नम्बर 7, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना—पत्र हिमाचल प्रदेश भू अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में राजेंदर कुमार दर्ज है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम रविन्दर कुमार दर्ज है जोकि राजेंदर कुमार उर्फ रविन्दर कुमार राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र पर कारवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से कारवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग राजेंदर कुमार उर्फ रविन्दर कुमार दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इशतहार/मुश्ट्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री राजेंदर कुमार पुत्र पृथ्वी चंद, निवासी महाल वार्ड नम्बर 7, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व विभाग में राजेंदर कुमार उर्फ रविन्दर कुमार दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 25-05-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है, कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी उपरोक्त का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेंदर कुमार उर्फ रविन्दर कुमार दर्ज/दुरुस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इशतहार/मुश्री मुनादी आज दिनांक 29-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	अगामी तारीख पेशी/सुनवाई
09/2026	इन्द्राज जन्म तिथि	08-04-2026	25-05-2026

श्री वंशी लाल पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भलाणा, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय :—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री वंशी लाल पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भलाणा, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इशतहार/सूचना/मुश्री मुनादी।

श्री वंशी लाल पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भलाणा, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्री वंशी लाल पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भलाणा, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 28-06-1951 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बंधित ग्राम पंचायत भलाणा के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत भलाणा के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री वंशी लाल पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भलाणा, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-06-1951 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत भलाणा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 25-05-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 28-06-1951 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत भलाणा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 27-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	अगामी तारीख पेशी / सुनवाई
10/2026	इन्द्राज जन्म तिथि	13-04-2026	25-05-2026

श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल गुजरेहडा, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल गुजरेहडा, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्री मुनादी।

श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल गुजरेहडा, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों / रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल गुजरेहडा, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 13-02-1967 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बंधित ग्राम पंचायत चबूतरा के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चबूतरा के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल गुजरेहडा, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 13-02-1967 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चबूतरा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 25-05-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 13-02-1967 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चबूतरा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 27-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	अगामी तारीख पेशी / सुनवाई
11/2026	इन्द्राज जन्म तिथि	23-04-2026	25-05-2026

श्रीमती सिमरो देवी पत्नी प्रेम चंद, निवासी गांव व डाकघर धैल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती सिमरो देवी पत्नी प्रेम चंद, निवासी गांव व डाकघर धैल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना/मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती सिमरो देवी पत्नी प्रेम चंद, निवासी गांव व डाकघर धैल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती सिमरो देवी पत्नी प्रेम चंद, निवासी गांव व डाकघर धैल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 05-05-1962 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चलोह के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चलोह के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती सिमरो देवी पत्नी प्रेम चंद, निवासी गांव व डाकघर धैल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-05-1962 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चलोह के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 25-05-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 05-05-1962 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत चलोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 27-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-05-2026

श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री रूलिया राम, निवासी महाल घलोल, डाकघर करौर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री रूलिया राम, निवासी महाल घलोल, डाकघर करौर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी जन्म तिथि 15-01-1961 को ग्राम पंचायत कमलाह के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि 15-01-1961 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पवना देवी की जन्म तिथि 15-01-1961 को ग्राम पंचायत कमलाह में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-05-2026 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर को दोपहर 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी एवं श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री रूलिया राम की जन्म तिथि 15-01-1961 को ग्राम पंचायत कमलाह में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-04-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-05-2026

श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री वजीरा, गांव घलूं, डाकघर घलूं, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री वजीरा, गांव घलूं, डाकघर घलूं, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी जन्म तिथि 01-03-1938 को ग्राम पंचायत घलूं के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी है तथा अब वह अपनी उक्त जन्म तिथि 01-03-1938 को संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पार्वती देवी की जन्म तिथि 01-03-1938 को ग्राम पंचायत घलूं में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-05-2026 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में दोपहर 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी एवं श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री वजीरा की जन्म तिथि 01-03-1938 को ग्राम पंचायत घलूं में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23-04-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

आगामी सुनवाई : 27-05-2026

श्री सरवन कुमार पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी महाल भरमोटी कलां, डाकघर भरमोटी खुर्द, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सरवन कुमार पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी महाल भरमोटी कलां, डाकघर भरमोटी खुर्द, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र दिनेश कुमार की जन्म तिथि 27-01-1980 को ग्राम पंचायत भरमोटी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा अब वह अपनी उक्त जन्म तिथि 27-01-1980 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त दिनेश कुमार की जन्म तिथि 27-01-1980 को ग्राम पंचायत भरमोटी में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-05-2026 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में दोपहर 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी एवं श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सरवन कुमार की जन्म तिथि 27-01-1980 को ग्राम पंचायत भरमोटी में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Rukmani Devi age 27 years d/o Sh. Prithi Singh, r/o Village & P.O. Kakkar, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Jephthe Ndala Nagandu age 28 years s/o Sh. Petro Nsungu, r/o AV Sayo N 17 Q/Keyeke/Manika Kolwezi
.. Applicants.

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Rukmani Devi age 27 years d/o Sh. Prithi Singh, r/o Village & P.O. Kakkar, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) and Jephthe Ndala Nagandu age 28 years s/o Sh. Petro Nsungu, r/o AV Sayo N 17 Q/Keyeke/Manika Kolwezi have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 14-04-2026 at Murli Manohar Temple Sujanpur District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 23-05-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Vikas Sukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

1. Shubham Kaundal age 27 years s/o Sh. Sant Ram, r/o W/No. 5, Tehsil & P.O. Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Kanchan age 26 years d/o Sh. Kishori Lal, r/o B 006/2928, GTB Road, Kharar SAS Nagar Mohali P.B. 140301 .. Applicants.

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shubham Kaundal age 27 years s/o Sh. Sant Ram, r/o W/No. 5, Tehsil & P.O. Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Kanchan age 26 years d/o Sh. Kishori Lal, r/o B 006/2928, GTB Road, Kharar SAS Nagar Mohali P.B. 140301 have filed an application alongwith affidavits/declarations in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 24-10-2025 at Murli Manohar Temple Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-05-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

1. Ankush age 33 years s/o Late Sh. Yash Pal, r/o Village Dudhla, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Mamta Arya age 25 years d/o Sh. Harish Chandra Arya, r/o Vill. Amiya, P.O. Amritpur, Tehsil & Distt. Nainital (U.K.) .. *Applicants.*

Versus

The General Public

.. *Respondent.*

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Ankush age 33 years s/o Late Sh. Yash Pal, r/o Village Dudhla, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Mamta Arya age 25 years d/o Sh. Harish Chandra Arya, r/o Vill. Amiya, P.O. Amritpur, Tehsil & Distt. Nainital (U.K.) have filed an application alongwith affidavits/declarations in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 11-03-2024 at Vill. Amiya, P.O. Amritpur, Tehsil & Distt. Nainital (U.K.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-05-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

1. Sushil Kumar age 35 years s/o Sh. Gamma Ram, r/o Village Lambri, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Mamta Devi age 21 years d/o Sh. Kartar Chand, r/o V.P.O. Banalag, Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.)
.. Applicants.

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sushil Kumar age 35 years s/o Sh. Gamma Ram, r/o Village Lambri, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Mamta Devi age 21 years d/o Sh. Kartar Chand, r/o V. P.O. Banalag, Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 08-12-2015 at V.P.O. Banalag, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 28-05-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikash Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Randhir Kumar aged 34 years s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Bag Kulja, P.O. & Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) at present r/o Lucky Chauhan s/o Ram Paul, Ward No. 8, Sujanpur District Hamirpur (H.P.).

2. Divya aged 26 years d/o Sh. Jyoti Prakash, r/o Village Tander, P.O. Sanghol, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Randhir Kumar aged 34 years s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Bag Kulja, P.O. & Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) at present r/o Lucky Chauhan s/o Ram Paul, Ward No. 8, Sujanpur District Hamirpur (H.P.) and Divya aged 26 years d/o Sh. Jyoti Prakash, r/o Village Tander, P.O. Sanghol, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-05-2026. The objections received after 29-05-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-04-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(VIKAS SHUKLA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 820927 / 2026

तारीख रजुआ : 01-04-2026

अनुष्का नेगी पुत्री स्व0 हरी सिंह, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम उप-महाल ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

यह दरखास्त प्रार्थिया अनुष्का नेगी पुत्री स्व0 हरी सिंह, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की ओर से उनकी माता श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह के द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रार्थिया उनकी इकलौती पुत्री है उसका नाम मुताबिक आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार नकल रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों में अनुष्का नेगी पुत्री स्व0 श्री हरी सिंह दर्ज है जाकि सही व दुरुस्त है। सायला के नाम राजस्व अभिलेख के उप-महाल ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 में मलकियत हैं जिसमें प्रार्थिया की पुत्री का नाम सृष्टी पुत्री हरी सिंह दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थिया उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में अपनी पुत्री के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख उप-महाल ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में सृष्टी पुत्री हरी सिंह दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में प्रार्थिया की पुत्री का नाम दुरुस्त कर अनुष्का नेगी पुत्री स्व० श्री हरी सिंह करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थिया की पुत्री का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 05/2026

तारीख रजुआ : 16-04-2026

Manju d/o Sh. Bahadur Singh, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Manju d/o Sh. Bahadur Singh, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 12-02-1979 को गांव शुदारंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव शुदारंग की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Manju d/o Sh. Bahadur Singh, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo का जन्म 12-02-1979 को गांव शुदारंग में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 06/2026

तारीख रजुआ : 21-04-2026

Sh. Pankaj Negi s/o Sh. Rupender Singh, r/o V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.— प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Pankaj Negi s/o Sh. Rupender Singh, r/o V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 08-07-1995 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Pankaj Negi s/o Sh. Rupender Singh का जन्म 08-07-1995 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : 07/2026

तारीख रजुआ : 23-03-2026

Sh. Pradeep Kumar s/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Chungling (Kothi), P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Pradeep Kumar s/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Chungling (Kothi), P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Divya Negi का जन्म 12-10-2020 को गांव (चुंगलिंग) कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव चुंगलिंग (कोठी) की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Divya Negi d/o Pradeep Kumar का जन्म 12-10-2020 को गांव चुंगलिंग (कोठी) में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : 13/2026

तारीख रजुआ : 24-04-2026

Diwan Pati d/o Sh. Hir Ram, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।

2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.— प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Diwan Pati d/o Sh. Hir Ram, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर की अनुशंसा रिपोर्ट उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 01-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Diwan Pati d/o Sh. Hir Ram का जन्म 01-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 12/2026

तारीख रजुआ : 23-04-2026

Sh. Krishan Bahadur s/o Sh. Dhan Bahadur, r/o Village Jatibeed, Chandanath Municipality, Ward No. 8, District Jumla, State Karnali, Nepal, Presently residing at Village Yuwaringi, P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण युवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत युवारिंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Krishan Bahadur s/o Sh. Dhan Bahadur, Presently residing at Village Yuwaringi, P.O. Kothi, Tehsil Kalpa,

District Kinnaur (H.P.) (नेपाली मूल) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 01-03-1974 को गांव युवारिंगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत युवारिंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत युवारिंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत युवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव युवारिंगी की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Krishan Bahadur s/o Sh. Dhan Bahadur का जन्म 05-06-1974 को गांव युवारिंगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत युवारिंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 09/2026

तारीख रजुआ : 22-04-2026

Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon, r/o Village Navatoli, P.O. Kotam, Tehsil & District Gumla, Jharkhand-835 233, Presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.— प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon, Presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur H.P. (मूल निवासी झारखण्ड) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Shivani Kumari का जन्म 03-01-2018 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon की पुत्री

Shivani Kumari का जन्म 03-01-2018 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/2026

तारीख रजुआ : 22-04-2026

Sh. Ram Dev s/o Sh. Khushi Ram, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी की पत्नी का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कोठी के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Ram Dev s/o Sh. Khushi Ram, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नी Late Bhagpati की मृत्यु 19-04-1924 को गांव कोठी में हुई थी तथा अज्ञानतावश प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपनी पत्नी का नाम व मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कोठी के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Ram Dev s/o Sh. Khushi Ram की पत्नी Late Bhagpati की मृत्यु 19-04-1924 को गांव कोठी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पत्नी के मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : 11/2026

तारीख रजुआ : 07-04-2026

Champa Devi d/o Sh. Umar Dass, r/o V.P.O. Roghi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रोघी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Champa Devi d/o Sh. Umar Dass, r/o V.P.O. Roghi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 03-01-1987 को गांव रोघी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत रोघी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव रोघी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Champa Devi d/o Sh. Umar Dass का जन्म 03-01-1987 को गांव रोघी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : 08/2026

तारीख रजुआ : 22-04-2026

Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon, r/o Village Navatoli, P.O. Kotam, Tehsil & District Gumla, Jharkhand-835 233, Presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।

2. लोकल रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon, Presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur, H.P. (मूल निवासी झारखण्ड) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Khushi Kumari का जन्म 08-06-2021 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Karmakar Oraon s/o Sh. Vigan Oraon की पुत्री Khushi Kumari का जन्म 08-06-2021 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-06-2026 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 47/2025

तारीख रजुआ : 26-12-2025

श्री रविन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पुत्रगण श्री जवाहर सिंह, गांव दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

1. ओम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश पुत्रगण श्री भगवान दास,
2. देव कुमारी पत्नी श्री मदन मोहन,
3. वासु देव पुत्र श्री लक्ष्मी दास,
4. केदार सिंह पुत्र श्री श्याम नन्द,
5. बसन्त राज पुत्र श्री गोकल राम सभी निवासी गांव खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
6. आम जनता, उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—दरखास्त हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 89 मिन/145, खसरा नं0 564, 565, 566, 567, कित्ता-4, रकबा तदादी 00-04-27 है0 उप-महाल कश्मीर के खाना काश्त में दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी श्री रविन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पुत्रगण स्व० श्री जवाहर सिंह, निवासी गांव दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर हि०प्र० से प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने राजस्व अभिलेख के खाता/खतौनी नं० 89 मिन/145, खसरा नं० 564, 565, 566, 567, कित्ता-4, रकबा तादादी 00-04-27 है०, उप-महाल कश्मीर में उनके पिता जवाहर सिंह पुत्र गिरदारी लाल गैर-मौरुसी दर्ज है जिसमें उनका काश्त व कब्जा है। इस बारे प्रार्थना-पत्र को क्षेत्रीय ईकाई कोठी को मौका छानबीन हेतु भेजा गया था तथा कानूनगो द्वारा छानबीन में भी पाया गया कि उपरोक्त राजस्व अभिलेख में रविन्द्र कुमार व मनोज कुमार पुत्रगण जवाहर सिंह का मौके पर काश्त व कब्जा है व मकान, बगीचा सेब पाया गया है जो कि मुताबिक अभिलेख सही है। जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के नाम वरास्त भाग बराबर हुई है जिसे दुरुस्ती कर काश्त व कब्जा स्वयं दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इशतहार के माध्यम से आम जनता मुहाल रादुले को सूचित किया जाता है कि भूमि खाता खतौनी नम्बर 89 मिन/145, खसरा नं० 564, 565, 566, 567, कित्ता-4, रकबा तादादी 00-04-27 है०, उप- महाल कश्मीर में उनके पिता जवाहर सिंह पुत्र गिरदारी लाल गैर-मौरुसी दर्ज है जिसमें उनका काश्त व कब्जा है। उपरोक्त राजस्व अभिलेख में रविन्द्र कुमार व मनोज कुमार पुत्रगण जवाहर सिंह का मौके पर काश्त व कब्जा है व मकान, बगीचा सेब पाया गया है जो कि मुताबिक अभिलेख सही है। जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के नाम वरास्त भाग बराबर हुआ है जिसे दुरुस्ती कर काश्त व कब्जा स्वयं दर्ज करने किसी भी आम जनता को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2026 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि०प्र०)

प्रकरण में :-

श्री मस्त राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव ठारू, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)। . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण हेतु।

श्री मस्त राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव ठारू, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसकी बहन स्व० प्रेमी देवी पुत्री संत राम निवासी गांव ठारू, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, की मृत्यु दिनांक 15-04-2012 को गांव गांव ठारू, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में हुई थी, परन्तु किसी कारणवश मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत जड़ोल के अभिलेख में दर्ज न हो सका। इसलिए मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित किये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 22-06-2026 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह 22-06-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की बहन प्रेमी देवी पुत्री संत राम की मृत्यु तिथि दिनांक 15-04-2012 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जड़ोल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

In the Court of Assistant Collector Second Grade, Sundernagar, District Mandi (H.P.)

In the matter of :

Case No. 807789/2026

Date of Hearing : 04-06-2026

1. Sh. Deepak Kumar s/o Sh. Laxmi Dass, Handeti Behind Shiv Temple Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) -175 019

2. Smt. Rajeshwari Devi w/o Sh. Laxmi Dass, Handeti Behind Shiv Temple Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) -175 019 . . *Applicants.*

Versus

1. Divakar Ram s/o Tulsi Ram through his Lrs 1(1) Smt. Sarswati Devi d/o 1(2) Sh. Lallit s/o 1(3) Sh. Sangita d/o 1(4) Smt. Champa Devi d/o Late Diwakar ,1(5) Nishant s/o 1(6) Ishan s/o Late Meena, d/o Late Diwakar, 2. Rattan Kumar (died) through his Lrs. 2(1) Smt. Himachal w/o 2(2) sh. Chaman Lal, 2(3) Chanchla Devi, 2(4) Yogendra Devi d/o Late Sh. Rattan Kumar, s/o Sh. Tulsi Ram, 3. Govind s/o Krishan (died) 4. Pradeep Kumar s/o Amar Nath, 5. Ashok Kumar s/o Amar Nath, 6. Pitambari Devi w/o Amar Nath, 7. Rajender Kumar s/o Sh. Nand Lal all r/o Village Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), 16. Smt. Pyush Kumari d/o Smt. Satya Devi, r/o Village near Sanskrit College Hostal Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), 21. Smt. Priya w/o Padam Nabh, r/o Handeti Behind Shiv Temple P.O. Bbmb Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), 22. Iekh Ram s/o Jiwanu, r/o Handeti near near Sanskrit College Hostal Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), 23. Sushila Devi w/o Late Sh. Jiwanu, r/o Handeti Shiv Temple Purana Bazar, P.O. BBMB Township, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), . . *Respondents.*

Subject.—Application u/s 123 of the H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of joint land comprised under Khewat No. 160, Khatouni 216 to 221 Khsra Kita 31 measuring 1540.62 Sq.Mts. in muhal Purana Bazar record as per Jamabandi for the year 2023-2024.

Proclamation

Whereas, the above noted partition case is pending before this court, and whereas service to the above mentioned respondents could not be effected though ordinary modes despite due efforts,

and whereas it has been reported that respondent No. (3) namely Govind Ram has expired, and the applicant has stated that the legal representatives (LRs) of the deceased are not known.

Therefore, notice is hereby given to :

The above mentioned respondents who could not be served through ordinary process; and the legal representatives (LRs), if any of deceased respondent No. (3) Govind Ram, to appear before this court either personally or through authorized counsel on the date fixed i.e. 04-06-2026 at 11.00 A.M. at the court of the undersigned, failing which the case shall be proceeded ex parte against them in accordance with law.

Given under my hand and seal of the court on this day of 6th of May 2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Garde,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H.P.**

In the matter of :

1. Sh. Akshay Kumar Chauhan s/o Sh. Ram Singh, Vill. Karoli, P.O. Khamadi, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.)

2. Smt. Aakanksha Sharma d/o Sh. Tilak Raj, H.No. 162/2 Purani Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Akshay Kumar Chauhan s/o Sh. Ram Singh, Vill. Karoli, P.O. Khamadi, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) and Smt. Aakanksha Sharma d/o Sh. Tilak Raj, H.No. 162/2 Purani Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) (at present wife of Sh. Akshay Kumar Chauhan s/o Sh. Ram Singh, Vill. Karoli, P.O. Khamadi, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-06-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Distt. Mandi H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 08th day of May, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H.P.**

In the matter of :

1. Sh. Mohinder Singh s/o Sh. Manjeet Singh, r/o Plot No. 37 Industrial Area Sauli Khad, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

2. Smt. Sandeep Kaur d/o Sh. Mukhtayar Singh, r/o Malak Farm Daudpor, District Lakhimpur Khera U.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Mohinder Singh s/o Sh. Manjeet Singh, r/o Plot No. 37 Industrial Area Sauli Khad, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Sandeep Kaur d/o Sh. Mukhtayar Singh, r/o Malak Farm Daudpor, District Lakhimpur Khera U.P. (at present wife of Sh. Mohinder Singh s/o Sh. Manjeet Singh, r/o Plot No. 37 Industrial Area Sauli Khad, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-12-2025 according to Hindu (Sikh) rites and customs at their respective houses Distt. Mandi H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 08th day of May, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H.P.**

In the matter of :—

1. Sh. Yog Raj s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Sanyardi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)
 2. Smt. Heena d/o Sh. Labh Singh, Vill. Naalan, P.O. Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)
- . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Yog Raj s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Sanyardi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Heena d/o Sh. Labh Singh, Vill. Naalan, P.O. Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) (at present wife of Sh. Yog Raj s/o Sh. Roshan Lal, Vill. Sanyardi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-12-2025 according to Hindu rites and customs at Shree Rameshwer Shiv Mandir, Jail Road Mandi H.P. their respective houses Distt. Mandi H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 08th day of May, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्री रामेश्वर पुत्र श्री बिशना, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रामेश्वर पुत्र श्री बिशना, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-16216, दिनांक 27-03-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1966 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत निहालगढ़ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-06-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री रामेश्वर पुत्र श्री बिशना, निवासी निहालगढ़ की जन्म तिथि 01-07-1966 को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2026

श्री सलमानखान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सलमानखान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2026-592, दिनांक 22-04-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 20-11-1996 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पिपलीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा

सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री सलमानखान पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2026

श्री जुलफकार पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जुलफकार पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2026-595, दिनांक 22-04-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 06-09-1994 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पिपलीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री जुलफकार पुत्र मतलूब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्री मतलूब पुत्र जहांगीर, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री मतलूब पुत्र जहांगीर, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2026—375, दिनांक 16—04—2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 07—04—1968 है जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पिपलीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07—06—2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री मतलूब पुत्र जहांगीर, निवासी किरतपुर तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06—05—2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar Bhardwaj s/o Sh. Surat Ram, r/o Vill. Tan Amroh, P.O. Amroh, Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Manoj Kumar to Manoj Kumar Bhardwaj. I shall be known as Manoj Kumar Bhardwaj for all purposes in future. All concerned please note.

MANOJ KUMAR BHARDWAJ
s/o Sh. Surat Ram,
r/o Vill. Tan Amroh, P.O. Amroh,
Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lazza Kumari w/o Sh. Piru Ram, Vill. Kanyana, P.O. Bhadarwar, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Lajya Devi to Lazza Kumari. I shall be known as Lazza Kumari from all purposes in future. All concerned please note.

LAZZA KUMARI
w/o Sh. Piru Ram,
Vill. Kanyana, P.O. Bhadarwar,
Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Rani d/o Hari Dass, r/o Ward No. 01, V.P.O. Saloh, Sub-Tehsil Ispur, Distt. Una (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Rakesh Rani to Paramjit after marriage. Rakesh Rani & Paramjit are names of one and the same lady. All concerned note.

RAKESH RANI
d/o Hari Dass,
r/o Ward No. 01, V.P.O. Saloh,
Sub-Tehsil Ispur, Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jagat Ram aged about 39 years s/o Late Sh. Brestu Ram, r/o P.O. Kalihatti Ghararoo (14/136), Shimla (H.P.) 171 103 declare that I have changed my son's name from Partyansh Kumar Shandil (Old Name) to Pratyansh Kumar Shandil (New Name). All may concerned please note.

JAGAT RAM
s/o Late Sh. Brestu Ram,
r/o P.O. Kalihatti Ghararoo (14/136),
Shimla (H.P.) 171 103.

CHANGE OF NAME

I, Mahesh Chand Sharma s/o Sh. Pawan Kumar Sharma, r/o Village Nari, P.O. Dera Baba Rudru, Tehsil & Distt. Una (H.P.) do hereby declare that I have changed the name of my daughter from Sarishti Sharma to Srishti Sharma. All concerned note.

MAHESH CHAND SHARMA
s/o Sh. Pawan Kumar Sharma,
r/o Village Nari, P.O. Dera Baba Rudru,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Km. Ritika Saini w/o Sh. Vinay Tomar, r/o V.P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) 173 030 declare that I have changed my name from Ritika Saini to Km. Ritika Saini. All concerned please note.

KM. RITIKA SAINI
w/o Sh. Vinay Tomar,
r/o V.P.O. Sainwala, Tehsil Nahan,
Distt. Sirmaur (H.P.) 173 030.

CORRECTION OF NAME

I, Anisha Hussain w/o Manish Ahmed, Village Mohakampur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that my name Nisha Hussain is wrongly written in my Aadhar Card No. 6597 7288 8523, which should be corrected and written as Anisha Hussain.

ANISHA HUSSAIN
w/o Manish Ahmed,
Village Mohakampur Nawada,
P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijender Katoch s/o Late Shri Chamel Chand Katoch, r/o V.P.O. Ustehar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Brijender Katoch to Vijender Katoch. All concerned note.

VIJENDER KATOCH
s/o Late Shri Chamel Chand Katoch,
r/o V.P.O. Ustehar, Tehsil Baijnath,
Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Garima w/o Sh. Upmanyu Garg, r/o Ashok Vatika, Kacchi Ghati, Shimla (H.P.) do hereby announced that I want to add surname Garg of my husband with my name. In future, I should be known as Garima Garg. All concerned please note.

GARIMA GARG
w/o Sh. Upmanyu Garg,
r/o Ashok Vatika, Kacchi Ghati, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Akriti d/o Sh. Deep Kumar, r/o Siao, P.O. Pujarli No. 4, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Anjna in my Aadhar Card. Therefore, it should be changed to Akriti in my Aadhar Card. All concerned please may note.

AKRITI
d/o Sh. Deep Kumar,
r/o Siao, P.O. Pujarli No. 4,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manmohan s/o Sh. Jaipal, r/o Village Sainwala Mubarakpur (151), Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)-173 021 declare that I have changed my name from Manmohan Singh (Previous Name) to Manmohan (New Name). All concerned please may note.

MANMOHAN
s/o Sh. Jaipal,
r/o Village Sainwala Mubarakpur (151),
Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)-173 021.

CORRECTION OF NAME

I, Kamlo w/o Sh. Bhajan, r/o Village Hiyad, Pargna Bagod, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.) declare that in the Gram Panchayat Kuthar Budhoda record my name is wrongly entered as Bimlo. Whereas, my correct name is Kamlo. Please correct Kamlo in my GP record. All concerned please note.

KAMLO
w/o Sh. Bhajan,
r/o Village Hiyad, Pargna Bagod,
Tehsil Churah, District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vimla Devi aged about 56 years w/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Maithal, P.O. Mittian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my correct name is Vimla Devi, whereas, it has been erroneously recorded as Bimla Devi in my Aadhar Card. Now, I wish to have my name corrected to Vimla Devi in my Aadhar Card. Let all take note.

VIMLA DEVI
w/o Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Maithal, P.O. Mittian,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dharmu s/o Sh. Ram Swaroop, r/o Village Pokhati, P.O. Ekhoo Serla (325), P.O. Dhakriana, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from "Baby of Anjana" to Prachi. All concerned please note for future.

DHARMU
s/o Sh. Ram Swaroop,
r/o Village Pokhati, P.O. Ekhoo Serla (325),
P.O. Dhakriana, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sumitra Devi w/o Sh. Roop Lal, r/o Village Salahi (460), P.O. Janerghat, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Jesmin to Jasmine. All concerned please note for further.

SUMITRA DEVI
w/o Sh. Roop Lal,
r/o Village Salahi (460), P.O. Janerghat,
District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gur Dev s/o Sh. Khem Chand, r/o Village Jodhpur, P.O. Nayagram, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)-173 220 declare that I have changed my name from "Gur Dev" to Gurudev. All concerned please note for further.

GUR DEV
s/o Sh. Khem Chand,
r/o Village Jodhpur, P.O. Nayagram,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)-173 220.

CHANGE OF NAME

I, Sunita Thapa w/o Sh. Viru Thapa, r/o Chamhech (313), P.O. Jais, District Shimla (H.P.)-171 201 declare that I have changed my minor son's name from Munish Thapa to Manish Thapa. All concerned please note for future.

SUNITA THAPA
w/o Sh. Viru Thapa,
r/o Chamhech (313), P.O. Jais,
District Shimla (H.P.)-171 201.

CHANGE OF NAME

I, Ajeet Singh s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Chachar (553), Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from "Baby one of Babita" to Gurjeet Singh. All concerned please note for further.

AJEET SINGH
*s/o Sh. Joginder Singh,
r/o Village Chachar (553),
Tehsil & District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Sudesh Kumari w/o Sh. Prem Sagar, r/o Vill. Bhater, P.O. Gahar, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 7188 5739 3740 my name is wrongly entered as Sawdesh Kumari. Whereas, my correct name is Sudesh Kumari. I shall be known as Sudesh Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

SUDESH KUMARI
*w/o Sh. Prem Sagar,
r/o Vill. Bhater, P.O. Gahar,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Beena w/o Sh. Kishan Bahadur, r/o Santosh Cottage, Comely Bank, AGPO, Shimla-3 H.P., Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that my correct name is Veena and the same has entered in my Aadhar Card as Beena instead of Veena. Both are same and one person its myself.

BEENA
*w/o Sh. Kishan Bahadur,
r/o Santosh Cottage,
Comely Bank, AGPO, Shimla-3 H.P.,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Sudesh Kumari w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Vill. Garthun, P.O. Konna, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing No. 5499 5421 4701 my daughter's name is wrongly entered as Shakshi which should be corrected as Sakshi. please correct this.

SUDESH KUMARI
*w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o Vill. Garthun, P.O. Konna,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Janvi Chandel d/o Sh. Kishore Kumar, Village & P.O. Bari Majherwan, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name & my father's names are wrongly entered as Janavani Chandel & Kishor Kumar. Our correct name is Janvi Chandel & Kishore Kumar. All concerned note.

JANVI CHANDEL
d/o Sh. Kishore Kumar,
Village & P.O. Bari Majherwan,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Fuli Devi w/o Late Sh. Laiq Ram, r/o Village Sirthi, P.O. Jubbal, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Fulma Devi which should be corrected as Fuli Devi. Please correct this.

FULI DEVI
w/o Late Sh. Laiq Ram,
r/o Village Sirthi, P.O. Jubbal,
Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Desh Raj s/o Sh. Mangata Ram, r/o Village Chhatran, P.O. Ohraphati, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son having number 5759 8319 1742 his name is wrongly entered as Venya Sharma. Whereas, his correct name is Vinay Sharma. All concerned please note.

DESH RAJ
s/o Sh. Mangata Ram,
r/o Village Chhatran, P.O. Ohraphati,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Sh. Bahadur Singh, r/o Village Khawa, P.O. Palra, Tehsil Baroh, Distt. Kangra (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that in the CBSE (X Class), (XII Class) and Migration Certificates of my daughter Kanika Mehta, her mother's name is entered as Sunita whereas her mother's correct name is Sunita Devi which is entered correct in her Aadhar and Educational record. That in the above Certificates of my daughter, her mother's name may please be corrected as Sunita Devi.

ANIL KUMAR
s/o Sh. Bahadur Singh,
r/o Village Khawa, P.O. Palra,
Tehsil Baroh, Distt. Kangra (H.P.).

